कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
कोटपुतलीजिला : कोटपुतली–बहरोड़
राज.–303108

Mob.No. 9414349440
dean.coakotputli@sknau.ac.in

क्रमांक :एफ( )/लेखा/कृ.म ./केटीपी/2024/119 दिनांकः 23.02.2024

खुली निविदा सूचना

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य के लिए सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदा आंमत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/ कम्पनी/ सोसायटी जिन्हे सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय, से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद या डी.डी./बी.सी. कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदादाता निविदा प्रपत्र के साथ बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 18000/– का डी.डी./बी.सी. दिनांक **14.03.2024** को दोपहर 12.15 बजे तक कृषि महाविद्यालय–कोटपुतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. " Dean, College of Agriculture, Kotputli " के नाम से देय होगी। इस निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली को होगा।

sd–
अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेज कर निवेदन है कि आप अथवा आपका प्रतिनिधि (नोमिनी) नियुक्त करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस खुली निविदा को sppp.rajasthan.gov.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.sknau.ac.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली ।
4. कैशियर, लेखा शाखा, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली ।
5. नोटिस बोर्ड, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

Singh 23/2/24
अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
कंवरपुरा, कोटपुतली जिला : कोटपुतली–बहरोड़–303108 (राजस्थान)

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की खुली निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली द्वारा कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए श्रमिकों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मो से निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹)	निविदा प्रपत्र शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि,समय एवं स्थान	निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि, समय एवं स्थान
1.	कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति	9.00	18000	500	14.03.2024 दोपहर 12.15 बजे तक	**14-03-2024** दोपहर 2.30 बजे कार्यालय, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कंवरपुरा, कोटपुतली

निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद कार्यालय में जमा करवाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। निविदादाता निविदा प्रपत्र व संलग्न बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 18000/– के डी.डी./बैंकर चैक Dean, College of Agriculture, Kotputli के नाम से देय, दिनांक **14.3.2024 को दोपहर 12.15 बजे** तक कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली–303108 के कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
कंवरपुरा, कोटपुतली–303108
जिला :कोटपुतली–बहरोड़ (राज0)

Mob.No. 9414349440
dean.coakotputli@sknau.ac.in

तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

कार्य की अनुमानित लागत – रूपये 9.00 लाख
बोली प्रतिभूति (Bid Security)- रूपये 18000/-
निविदा प्रपत्र शुल्क : रूपये 500/–
निविदा जमा कराने की अन्तिम दिनांक 14.03.2024 समय–दोपहर 12.15 बजे तक

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों के लिए श्रमिक आपूर्ति की खुली निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
2. डाक का पता, दूरभाष नम्बर, मोबाईल नम्बर व ई–मेल सहित ....
....
....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर ....
....
....
....
4. किसको संबोधित किया गया –Dean, College of Agriculture, Kotputli
5. खुली निविदा सूचना संदर्भ ....दिनांक..............................
6. खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/– नगद या डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या कमांक ....दिनांक.............................एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू. 18000/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या कमांक ....दिनांक............................ (Dean, College of Agriculture, Kotputli के पक्ष में देय) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में भौतिक रूप से (Physically) जमा करा दी है।
7. हम अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली द्वारा जारी की गई खुली निविदा सूचना **संख्या** .... **दिनांक** .... में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. खुली निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुसांगिक प्रभारो सहित अंकित है।
9. सभी कार्यो के लिए महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार श्रमिक आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। महाविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
10. **कृषि एवं अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।
11. खुली निविदा प्रपत्र के साथ जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध हो। प्रपत्र "र" संलग्न है।
12. टर्न ओवर प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'स')** संलग्न है।
13. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र **(प्रपत्र 'द')** संलग्न है।
14. खुली निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र "र" सलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
कंवरपुरा, कोटपुतली–303108 जिला :जयपुर (राज0)

Mob.No. 9414349440
dean.coakotputli@sknau.ac.in

कंमाक :एफ( )/लेखा/कृम/केटीपी/2024/119 दिनांक: 23.2.2024

तकनीकी निविदा प्रपत्र "अ"
कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति की निविदा

कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है । ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं । निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से रूपये 500/– नगद जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र को वेबसाईट www.sknau.ac.in & sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र व बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) रूपये 18000/– के डी.डी./बी.सी. दिनांक **14.03.2024 को दोपहर 12.15** बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी- "Dean, College of Agriculture, Kotputli" के नाम से देय होगी।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षो का औसत टर्न ऑवर रूपये 10.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment /Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि विगत तीन वर्ष में सरकारी विभाग/उपक्रम में कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति कार्यानुभव अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना वांछित है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष नम्बर, ई–मेल का विवरण देना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।
6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित शर्ते लागू होंगी।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

खुली निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रूपये 500/–नगद कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है। निविदा प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 18000/– के डी.डी./बी.सी. दिनांक **14.03.2024 को दोपहर 12.15 बजे** तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। डी.डी./बी.सी. "Dean, College of Agriculture, Kotputli" के नाम से देय होगा।

C. कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्ते

कृषि एवं अन्य कार्य हेतु श्रमिक आपूर्ति के लिए शर्ते:–

ठेकेदार अथवा ठेकेदार प्रतिनिधि को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

1. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जाता है तो उसके द्वारा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

2. ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित न्यूनतम दर एवं अन्य के आनुपातिक दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।

3. विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा। अन्यथा देरी से भुगतान करने पर 500/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में भासित (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतान बैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।

4. महाविद्यालय में श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व श्रमिकों के नाम की सूची कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जा सकता है।

5. श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली को देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

6. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचायी जाती है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली को ठेकेदार से होगा।

7. महाविद्यालय कृषि कार्य हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में पुरूष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे।

8. ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की केन्द्र पर कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को महाविद्यालय द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगें। सूचित नही करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को महाविद्यालय में कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।

9. ठेकेदार महाविद्यालय कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो महाविद्यालय अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। ठेकेदार द्वारा समय पर पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध नही करायेगा तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगा तथा जो अतिरिक्त राशि का भुगतान उस दिन श्रमिकों को देय होगा उस अतिरिक्त राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

10. श्रमिकों को महाविद्यालय कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। महाविद्यालय के कार्य की आवश्यकता को मध्येनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPR 2012 एवं RTPPR 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

11. ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नही करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली को होगा।

12. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोडने के लिए बाध्य नही होगा।

13. न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।

Singh

14. दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के औसत में न्यूनतम प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा तथा अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपूतली द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

15. निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक महाविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगें व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगें।

16. यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नहीं कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा राशि तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि महाविद्यालय उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तो को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

17. निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। निविदादाता द्वारा यदि कृषि, चौकीदारी एवं अन्य कार्य, की महत्वता एवं गुणवत्तानुसार करने में असमर्थ रहता है या कार्य अधूरा छोडता है तो महाविद्यालय उन सभी कार्यों को अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण करायेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि में से किया जायेगा । इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

18. निविदा फार्म में दर्शाये गये कार्यों का विभाजन नहीं किये जाने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यो के लिए निविदादाता द्वारा जो दर प्रस्तुत की जावेगी उनके न्यूनतम दर का आकलन उस निविदा के समस्त सम्बन्धित कार्यो हेतु दी गई दर के औसत के आधार पर किया जायेगा।

19. मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करा सकते हैं।

20. राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम प्रस्तुत की गई दरों को स्वीकार नही किया जावेगा।

21. अन्य शर्ते एवं नियम RTPPA 2012, RTPPR 2013 एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।

22. वांछित सभी दस्तावेज, शुल्क एवं शर्तें इत्यादि स्कैन कर अपलोड कर दिये हैं। भौतिक रूप से केवल **तीनों प्रकार** के शुल्क जमा करवा दिये हैं।

23. शर्तें/नियम स्वीकार करने के रूप में हस्ताक्षर एवं मोहर लगा दी गई है।

24. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

25. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अहर्त होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी। राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम , 1970 के सम्बन्ध में शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ 2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 की पालना की जायेगी।

26. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्रवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं की विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

27. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
28. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
29. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
30. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
31. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्प्ले बोर्डस लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
32. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
33. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
34. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
35. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
36. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने का नोटिस, वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
37. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुवाआजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
38. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।

39. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।

40. उपापन संस्था संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग के संबन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

41. श्रमिक की कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप का काटना, बिजली या कृषि औजार, ट्रेक्टर आदि से दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी इस केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

42. सफल तकनीकी निविदादाता फर्मों द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में शून्य प्रतिफल मानते हुए आरटीपीपी एक्ट की धारा 2(xiii) के अन्तर्गत अमान्य होगी। ऐसी फर्म को unresponsive माना जायेंगा।

43. दो या दो से अधिक निविदादाताओं की समान दर स्वीकृति का निर्णय उपापन समिति द्वारा लिया जा सकेगा। न्यूनतम निविदा दरें एक से अधिक निविदादाताओं की दर समान प्राप्त होने की स्थिति में उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता स्थानीय परिस्थितियों एवं कार्य अनुभव रखने वाली फर्म को प्राथमिकता होगी, के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने को स्वतंत्र होगी। इस सम्बन्ध में कोई वाद स्वीकार नहीं होगा न हीं उपापन समिति अन्य निवदादाताओं को इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी। जो अन्तिम एवं सभी बोली दाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

मैं/हम यह घोषणा करते है कि यदि मैं/हम निविदा में दर्शाई गई शर्तों एवं नियमों का पालन नहीं करता/करते हैं तो हमारी बिड सिक्यूरिटी पर परफोरमेंन्स सिक्युरिटी को जब्त कर लिया जाये। मैंने/हमने निविदा की सभी शर्तो/नियमों को भली भांति पढ़ लिया हैं व समझ लिया हैं तथा उनसे मैं/हम पूर्णतया सहमत हैं।

दिनांक----------- निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय

स्थान ----------- स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

Ssingh

I. निविदा का खोला जाना

निविदा प्रपत्रों को दिनांक 14.03.2024 **को दोपहर 12.15 बजे** तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र को दिनांक 14.03.2024 **को दोपहर 2.30 बजे** निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

II. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)** जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर "Dean, College of Agriculture, Kotputli" के नाम भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति **(Bid Security)** के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

III. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

IV. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, निविदा शुल्क के अपलोड एवं भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएगें। निविदा में प्राप्त दरें बातचीत **(Negotiation)**/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार केन्द्र को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

V. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "ब" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 9.00 लाख प्रतिवर्ष है। संस्थान द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

VI. दर संविदा अनुबंध की अवधि

दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढाई जा सकती है। तथा आगे अनुबंध की अवधि RTPP act में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बढाई जायेगी।

VII. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 50.00/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

VIII. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली के कार्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। **उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता (सेवा प्रदाता) को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा।**

IX. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर केन्द्र भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

X. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

XI. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

XII. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

XIII. निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

XIV. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

XV. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

XVI. सत्यनिष्ठा संहिता –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

XVII. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

XVIII. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण –प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1 **अपीलः**–(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण

दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. अपील फाइल करने के लिए फीस –

Singh

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'स'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2020–21	
2	2021–22	
3	2022–23	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

प्रपत्र –'द'

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/ होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में **Defaulter** का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र "य"

FORM NO. 1 : (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No........................ of ....

Before the .... (First/Second Appeliate Authority)

1. Particulars of appealant :
   (i) Name of the appeliant
   (ii) Official Address, if any
   (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s) :
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appeliant is aggrieved.
4. If the Appeliant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal
   ....
   ....
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer
   ....
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....

....
Appeliant's Signature

प्रपत्र –'र'

बोली दाता–संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण का विवरण

क्रसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र ''ब''

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, कोटपुतली

वित्तीय निविदा (पृथक लिफाफे में रखें)

मैं/हम निविदा में दर्शाये गये कार्य को पूरा करने के लिये निम्नलिखित दरें प्रस्तुत कर रहें है।

क्र.सं.	कृषि कार्य	संस्थान द्वारा अनुमानित दर	सेवाप्रदाता ऐजेंसी/फर्म द्वारा दी जाने वाली दरें quoted here
1.	फार्म की रखवाली (प्रति व्यक्ति दिन/रात)	9000/– प्रतिमाह	
2.	फसलों के लिए खेतो की साफ सफाई (सूड) करवाना	2000/– प्रति है.	
3.	फसलों/प्रयोगों की बुवाई	3800/– प्रति है.	
4.	निराई–गुडाई सभी फसलों में (2–8 दिन की समय सीमा तक)	7000/– प्रति है.	
5.	रसायनों (कीटनाशी,खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी) का फसलों पर छिडकाव/भुरकाव आदि	700/– प्रति है.	
6.	सिचाई प्रति हैक्टेयर स्प्रींकलर द्वारा (दिन–रात) फसल सिचाई – 4 घन्टे/लाईन	1400/– प्रति है.	
7.	फसल कटाई, बंधाई, एकत्रित करना एवं खलिहान तक पहुँचाना (अ) मूंग,ग्वार,मैथी,चना,तारामीरा (ब) गेंहू,जौ, सरसों, बाजरा	 7500/– प्रति है. 8500/– प्रति है.	
8.	फसलों की थ्रेसिंग एवं विनोइंग, बोरी भरना, गोदाम तक पहुचाकर तुलाई करवाना एवं स्टोर में बोरियों की धांग (थप्पी) लगाना आदि कार्य (अ) मूंग, ग्वार,मैथी,चना,तारामीरा, (ब) गेहू,जौ, सरसों, बाजरा	3000/– प्रति है. 5000/– प्रति है.	
9.	बीज को गोदाम से (यदि टंकियों में है तो उनके कट्टे भरना) ग्रेडिंग प्लान्ट तक पहुँचाकर ग्रेडिंग करना व पुनः कट्टों में भरकर तुलाई, सिलाई कर गोदाम तक पहुचाना।	45/– प्रति किवंटल	
10.	फॉर्म ऑफिस,फॉर्म गोदामों व अन्य कार्यालयों की साफ सफाई व पौचा लगाना	75/–प्रति धण्टा	

ट्रैक्टर एवं ट्रोली, उपकरण, मशीनरी जैसे सीडड्रील, थ्रेसर, प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर आदि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगे।

क्र. सं.	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	कार्य की प्रकृति	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी		सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13 प्रतिशत	ESI दर 3.25 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
			प्रतिदिन	प्रतिमाह					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल	259/– 271/– 283/– 333/–	6734/– 7046/– 7358/– 8658/–					

ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रत्येक पर समान रूप से लागू होगी।

1. माह में श्रमिक का कार्यदिवस 26 से कम होने पर प्रति दिन की दर से भुगतान किया जायेगा।
2. राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा तय न्यूनतक मजदूरी दरों से कम दरें स्वीकार नहीं होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

Singh